प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू. / एम.आई.एस. / समीक्षा बैठक / 2018–19 / 5562-75 दिनांकः 20/8/18

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदों को एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / आर0सी0एच0 / अनमोल / ई–हेल्थ / यू0पी0एच0एम0आई0एस0 आदि गतिविधियों हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा गतिविधि हेतु बजट आवंटन एवं धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / आर0सी0एच0 / अनमोल / ई–हेल्थ / यू0पी0एच0एम0 आई0एस0 आदि गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल पर आंकड़ों / सूचनाओं को संकलित किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किया जाता है। उक्त के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसका उपयोग जनपद एवं ब्लाक स्तर पर भारत सरकार / राज्य स्तर से संचालित वेब पोर्टल / वेब एप / अन्य एप्लीकेशन आदि के सफल संचालन एवं उनके द्वारा संकलित की जा रही सूचनाओं की पूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु किया जाता है।

जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः त्रैमासिक एवं मासिक प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभागियों को HMIS/MCTS/RCH/ANMOL/e-Health/UP-HMIS पोर्टल / एप्लीकेशन के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाना है, विवरण निम्नवत् है–

Sl.No.	Level of Training Cum Review	Frequency	Duration	Participants	Trainers
1	District	Quarterly	03 days	Max. 05 person from District and 02 from each block	State/Division/ District/Support Agency Officers
2	Block	Monthly	01 Days	Max. 02 person from each Block and 1 from each PHC and Subcentre	District/Block/Support Agency Officers

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक–

Training Cum Review Meeting for HMIS/MCTS/RCH/ANMOL (District & Block level) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में जनपद स्तर पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक प्रत्येक त्रैमास में की जानी है। उक्त बैठक में ब्लॉक स्तरीय इकाइयों पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठक हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 500.00 की दर से जनपद स्तर से 05 प्रतिभागी तथा प्रति ब्लाक 02 प्रतिभागी हेतु बजट प्राविधानित किया गया है।

ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक–

Training Cum Review Meeting for HMIS/MCTS/RCH/ANMOL (District & Block level) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में फैसिलिटी बेस्ड ब्लॉक स्तर पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक प्रत्येक मास में की जानी है। उक्त बैठक में ब्लॉक इकाईयों पर तथा स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठक हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 28.50 की दर से ब्लाक स्तर से 02 प्रतिभागी प्रति ब्लाक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र स्तर से एक–एक प्रतिभागी हेतु बजट प्राविधानित किया गया है।

प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक सम्बन्धित दिशा–निर्देश :–

- प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक निर्धारित बारम्बारता के आधार पर आयोजित की जायेंगी।
- प्रत्येक बैठक के आयोजन हेतु प्रशिक्षको एवं प्रतिभागियों को पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों को बैठक में प्रतिभाग करने को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।

- जनपदीय बैठक में प्रशिक्षक हेतु सम्बन्धित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर, मण्डलीय क्वालिटी परामर्शदाता, जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, जिला डाटा प्रबंधक, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, टी0एस0यू0 प्रतिनिधि आदि जनपदीय प्रशिक्षण कमेटी के सदस्य होंगे।
- जनपदीय प्रशिक्षण कमेटी के सदस्यों द्वारा एजेंडा/गतिविधि के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- जनपद की आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।
- प्रत्येक मण्डल पर कार्यरत एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर मण्डल स्तर से उक्त गतिविधि के नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डल की गतिविधि क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट मासिक आधार पर एम0आई0एस0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रत्येक जनपद पर कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधक जनपद में उक्त गतिविधि के नोडल अधिकारी होंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2018–19 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार बजट जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत किया गया है–

District Wise Fund Allocation Training Cum Review Meeting at District and Block level

(Amount in Rupees)

S. No.	Districts	No. of Blocks	FMR Code: 9.5.26.2 –Block level training @ District HQs (Old -B15.3.1.4.2)				FMR Code: 9.5.26.3 –Block level training @ Block (Old -B15.3.1.4.3)			Total budget allocated for FY 2018-19
			No. of trainee (5 per Dist. + 2 per Block)	No of training (every quarter)	Unit rate per trainee for 3 day training	Total amount allocated for District level trg cum review meeting	Expected no of Participants (2 from Block and 1 from each PHC and Subcentre)	No of training (monthly)	Total amount allocated for Block level trg cum review meeting for 08 month	
Col. 1	Col.2	Col.3	Col.4	Col 5	Col.6	Col.7(Col.4 X Col.5 XCol.6)	Col. 8	Col 9	Col 10 (Col 8 X Col 9)	Col 11 (Col 7 + Col 10)
1	Agra	15	35	3	500	52500	473	08	107844	**160344**
2	Aligarh	12	29	3	500	43500	422	08	96216	**139716**
3	Allahabad	20	45	3	500	67500	659	08	150252	**217752**
4	Ambedkar Nagar	9	23	3	500	34500	283	08	64524	**99024**
5	Amethi	13	31	3	500	46500	347	08	79116	**125616**
6	Amroha (JP Nagar)	6	17	3	500	25500	208	08	47424	**72924**
7	Auraiya	7	19	3	500	28500	594	08	135432	**163932**
8	Azamgarh	22	49	3	500	73500	469	08	106932	**180432**
9	Baghpat	6	17	3	500	25500	239	08	54492	**79992**
10	Bahraich	14	33	3	500	49500	401	08	91428	**140928**
11	Ballia	17	39	3	500	58500	484	08	110352	**168852**
12	Balrampur	9	23	3	500	34500	265	08	60420	**94920**
13	Banda	8	21	3	500	31500	355	08	80940	**112440**
14	Barabanki	15	35	3	500	52500	450	08	102600	**155100**
15	Bareilly	15	35	3	500	52500	507	08	115596	**168096**
16	Basti	14	33	3	500	49500	339	08	77292	**126792**
17	Bijnor	11	27	3	500	40500	428	08	97584	**138084**
18	Budaun	15	35	3	500	52500	489	08	111492	**163992**
19	Bulandshahar	16	37	3	500	55500	309	08	70452	**125952**
20	Chandauli	9	23	3	500	34500	191	08	43548	**78048**
21	Chitrakoot	5	15	3	500	22500	451	08	102828	**125328**
22	Deoria	16	37	3	500	55500	243	08	55404	**110904**
23	Etah	8	21	3	500	31500	219	08	49932	**81432**
24	Etawah	8	21	3	500	31500	309	08	70452	**101952**
25	Faizabad	11	27	3	500	40500	246	08	56088	**96588**
26	Farukkhabad	7	19	3	500	28500	371	08	84588	**113088**
27	Fatehpur	13	31	3	500	46500	325	08	74100	**120600**
28	Firozabad	9	23	3	500	34500	146	08	33288	**67788**
29	Gautam Buddha Nagar	4	13	3	500	19500	172	08	39216	**58716**
30	Ghaziabad	4	13	3	500	19500	474	08	108072	**127572**
31	Ghazipur	16	37	3	500	55500	436	08	99408	**154908**
32	Gonda	16	37	3	500	55500	559	08	127452	**182952**

S. No.	Districts	No. of Blocks	FMR Code: 9.5.26.2 –Block level training @ District HQs (Old -B15.3.1.4.2)				FMR Code: 9.5.26.3 –Block level training @ Block (Old -B15.3.1.4.3)			Total budget allocated for FY 2018-19
			No. of trainee (5 per Dist. + 2 per Block)	No of training (every quarter)	Unit rate per trainee for 3 day training	Total amount allocated for District level trg cum review meeting	Expected no of Participants (2 from Block and 1 from each PHC and Subcentre)	No of training (monthly)	Total amount allocated for Block level trg cum review meeting for 08 month	
33	Gorakhpur	19	43	3	500	64500	294	08	67032	**131532**
34	Hamirpur	7	19	3	500	28500	187	08	42636	**71136**
35	Hapur	4	13	3	500	19500	502	08	114456	**133956**
36	Hardoi	19	43	3	500	64500	217	08	49476	**113976**
37	Hathras	7	19	3	500	28500	339	08	77292	**105792**
38	Jalaun	9	23	3	500	34500	609	08	138852	**173352**
39	Jaunpur	21	47	3	500	70500	412	08	93936	**164436**
40	Jhansi	8	21	3	500	31500	217	08	49476	**80976**
41	Kannauj	8	21	3	500	31500	238	08	54264	**85764**
42	Kanpur Dehat	10	25	3	500	37500	273	08	62244	**99744**
43	Kanpur Nagar	10	25	3	500	37500	454	08	103512	**141012**
44	Kasganj	7	19	3	500	28500	220	08	50160	**78660**
45	Kaushambi	8	21	3	500	31500	222	08	50616	**82116**
46	Kushi Nagar	14	33	3	500	49500	434	08	98952	**148452**
47	Lakhimpur Kheri	15	35	3	500	52500	487	08	111036	**163536**
48	Lalitpur	6	17	3	500	25500	232	08	52896	**78396**
49	Lucknow (+3 Block)	8	21	3	500	31500	387	08	88236	**119736**
50	Maharajganj	12	29	3	500	43500	348	08	79344	**122844**
51	Mahoba	4	13	3	500	19500	166	08	37848	**57348**
52	Mainpuri	9	23	3	500	34500	276	08	62928	**97428**
53	Mathura	10	25	3	500	37500	318	08	72504	**110004**
54	Mau	9	23	3	500	34500	288	08	65664	**100164**
55	Meerut	12	29	3	500	43500	359	08	81852	**125352**
56	Mirzapur	12	29	3	500	43500	336	08	76608	**120108**
57	Moradabad	8	21	3	500	31500	337	08	76836	**108336**
58	Muzaffar Nagar	9	23	3	500	34500	351	08	80028	**114528**
59	Pilibhit	7	19	3	500	28500	238	08	54264	**82764**
60	Pratapgarh	17	39	3	500	58500	459	08	104652	**163152**
61	Raebareli	18	41	3	500	61500	367	08	83676	**145176**
62	Rampur	6	17	3	500	25500	255	08	58140	**83640**
63	Saharanpur	11	27	3	500	40500	408	08	93024	**133524**
64	Sambhal	8	21	3	500	31500	181	08	41268	**72768**
65	Sant Kabir Nagar	9	23	3	500	34500	226	08	51528	**86028**
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	17	3	500	25500	373	08	85044	**110544**
67	Shahjahanpur	15	35	3	500	52500	188	08	42864	**95364**
68	Shamali	5	15	3	500	22500	160	08	36480	**58980**
69	Shrawasti	5	15	3	500	22500	354	08	80712	**103212**
70	Siddharth Nagar	14	33	3	500	49500	554	08	126312	**175812**
71	Sitapur	19	43	3	500	64500	235	08	53580	**118080**
72	Sonbhadra	8	21	3	500	31500	192	08	43776	**75276**
73	Sultanpur	13	31	3	500	46500	312	08	71136	**117636**
74	Unnao	16	37	3	500	55500	432	08	98496	**153996**
75	Varanasi	8	21	3	500	31500	358	08	81624	**113124**
	Total	**820**	**2015**	**3**	**500**	**3022500**	**25658**		**5850024**	**8872524**

उपर्युक्त तालिका के अनुसार एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 की जनपद स्तर पर 03 त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु एवं ब्लाक स्तर पर 08 मासिक समीक्षा बैठक हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उक्त धनराशि का व्यय जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं DHAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानको के अनुसार एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 मद मे स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./समीक्षा बैठक/2018–19/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्क्वायर, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यकम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू. / एम.आई.एस. / समीक्षा बैठक / 2018–19 / दिनांकः 20/8/18

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदों को एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / आर0सी0एच0 / अनमोल / ई–हेल्थ / यू0पी0एच0एम0आई0एस0 आदि गतिविधियों हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा गतिविधि हेतु बजट आवंटन एवं धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / आर0सी0एच0 / अनमोल / ई–हेल्थ / यू0पी0एच0एम0 आई0एस0 आदि गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल पर आंकड़ों / सूचनाओं को संकलित किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किया जाता है। उक्त के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसका उपयोग जनपद एवं ब्लाक स्तर पर भारत सरकार / राज्य स्तर से संचालित वेब पोर्टल / वेब एप / अन्य एप्लीकेशन आदि के सफल संचालन एवं उनके द्वारा संकलित की जा रही सूचनाओं की पूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु किया जाता है।

जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः त्रैमासिक एवं मासिक प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभागियों को HMIS/MCTS/RCH/ANMOL/e-Health/UP-HMIS पोर्टल / एप्लीकेशन के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाना है, विवरण निम्नवत् है–

Sl.No.	Level of Training Cum Review	Frequency	Duration	Participants	Trainers
1	District	Quarterly	03 days	Max. 05 person from District and 02 from each block	State/Division/ District/Support Agency Officers
2	Block	Monthly	01 Days	Max. 02 person from each Block and 1 from each PHC and Subcentre	District/Block/Support Agency Officers

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक–

Training Cum Review Meeting for HMIS/MCTS/RCH/ANMOL (District & Block level) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में जनपद स्तर पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक प्रत्येक त्रैमास में की जानी है। उक्त बैठक में ब्लॉक स्तरीय इकाइयों पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठक हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 500.00 की दर से जनपद स्तर से 05 प्रतिभागी तथा प्रति ब्लाक 02 प्रतिभागी हेतु बजट प्राविधानित किया गया है।

ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक–

Training Cum Review Meeting for HMIS/MCTS/RCH/ANMOL (District & Block level) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में फैसिलिटी बेस्ड ब्लॉक स्तर पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक प्रत्येक मास में की जानी है। उक्त बैठक में ब्लॉक इकाईयों पर तथा स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठक हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 28.50 की दर से ब्लाक स्तर से 02 प्रतिभागी प्रति ब्लाक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र स्तर से एक–एक प्रतिभागी हेतु बजट प्राविधानित किया गया है।

प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक सम्बन्धित दिशा–निर्देश :–

- प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक निर्धारित बारम्बारता के आधार पर आयोजित की जायेंगी।
- प्रत्येक बैठक के आयोजन हेतु प्रशिक्षको एवं प्रतिभागियों को पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों को बैठक में प्रतिभाग करने को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।

- जनपदीय बैठक में प्रशिक्षक हेतु सम्बन्धित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर, मण्डलीय क्वालिटी परामर्शदाता, जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, जिला डाटा प्रबंधक, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, टी0एस0यू0 प्रतिनिधि आदि जनपदीय प्रशिक्षण कमेटी के सदस्य होंगे।
- जनपदीय प्रशिक्षण कमेटी के सदस्यों द्वारा एजेंडा/गतिविधि के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- जनपद की आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।
- प्रत्येक मण्डल पर कार्यरत एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर मण्डल स्तर से उक्त गतिविधि के नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डल की गतिविधि क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट मासिक आधार पर एम0आई0एस0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रत्येक जनपद पर कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधक जनपद में उक्त गतिविधि के नोडल अधिकारी होंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2018–19 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार बजट जनपद एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत किया गया है–

District Wise Fund Allocation Training Cum Review Meeting at District and Block level

(Amount in Rupees)

S. No.	Districts	No. of Blocks	FMR Code: 9.5.26.2 –Block level training @ District HQs (Old -B15.3.1.4.2)				FMR Code: 9.5.26.3 –Block level training @ Block (Old -B15.3.1.4.3)			Total budget allocated for FY 2018-19
			No. of trainee (5 per Dist. + 2 per Block)	No of training (every quarter)	Unit rate per trainee for 3 day training	Total amount allocated for District level trg cum review meeting	Expected no of Participants (2 from Block and 1 from each PHC and Subcentre)	No of training (monthly)	Total amount allocated for Block level trg cum review meeting for 08 month	
Col. 1	Col.2	Col.3	Col.4	Col 5	Col.6	Col.7(Col.4 X Col.5 XCol.6)	Col. 8	Col 9	Col 10 (Col 8 X Col 9)	Col 11 (Col 7 + Col 10)
1	Agra	15	35	3	500	52500	473	08	107844	**160344**
2	Aligarh	12	29	3	500	43500	422	08	96216	**139716**
3	Allahabad	20	45	3	500	67500	659	08	150252	**217752**
4	Ambedkar Nagar	9	23	3	500	34500	283	08	64524	**99024**
5	Amethi	13	31	3	500	46500	347	08	79116	**125616**
6	Amroha (JP Nagar)	6	17	3	500	25500	208	08	47424	**72924**
7	Auraiya	7	19	3	500	28500	594	08	135432	**163932**
8	Azamgarh	22	49	3	500	73500	469	08	106932	**180432**
9	Baghpat	6	17	3	500	25500	239	08	54492	**79992**
10	Bahraich	14	33	3	500	49500	401	08	91428	**140928**
11	Ballia	17	39	3	500	58500	484	08	110352	**168852**
12	Balrampur	9	23	3	500	34500	265	08	60420	**94920**
13	Banda	8	21	3	500	31500	355	08	80940	**112440**
14	Barabanki	15	35	3	500	52500	450	08	102600	**155100**
15	Bareilly	15	35	3	500	52500	507	08	115596	**168096**
16	Basti	14	33	3	500	49500	339	08	77292	**126792**
17	Bijnor	11	27	3	500	40500	428	08	97584	**138084**
18	Budaun	15	35	3	500	52500	489	08	111492	**163992**
19	Bulandshahar	16	37	3	500	55500	309	08	70452	**125952**
20	Chandauli	9	23	3	500	34500	191	08	43548	**78048**
21	Chitrakoot	5	15	3	500	22500	451	08	102828	**125328**
22	Deoria	16	37	3	500	55500	243	08	55404	**110904**
23	Etah	8	21	3	500	31500	219	08	49932	**81432**
24	Etawah	8	21	3	500	31500	309	08	70452	**101952**
25	Faizabad	11	27	3	500	40500	246	08	56088	**96588**
26	Farukkhabad	7	19	3	500	28500	371	08	84588	**113088**
27	Fatehpur	13	31	3	500	46500	325	08	74100	**120600**
28	Firozabad	9	23	3	500	34500	146	08	33288	**67788**
29	Gautam Buddha Nagar	4	13	3	500	19500	172	08	39216	**58716**
30	Ghaziabad	4	13	3	500	19500	474	08	108072	**127572**
31	Ghazipur	16	37	3	500	55500	436	08	99408	**154908**
32	Gonda	16	37	3	500	55500	559	08	127452	**182952**

S. No.	Districts	No. of Blocks	FMR Code: 9.5.26.2 –Block level training @ District HQs (Old -B15.3.1.4.2)				FMR Code: 9.5.26.3 –Block level training @ Block (Old -B15.3.1.4.3)			Total budget allocated for FY 2018-19
			No. of trainee (5 per Dist. + 2 per Block)	No of training (every quarter)	Unit rate per trainee for 3 day training	Total amount allocated for District level trg cum review meeting	Expected no of Participants (2 from Block and 1 from each PHC and Subcentre)	No of training (monthly)	Total amount allocated for Block level trg cum review meeting for 08 month	
33	Gorakhpur	19	43	3	500	64500	294	08	67032	**131532**
34	Hamirpur	7	19	3	500	28500	187	08	42636	**71136**
35	Hapur	4	13	3	500	19500	502	08	114456	**133956**
36	Hardoi	19	43	3	500	64500	217	08	49476	**113976**
37	Hathras	7	19	3	500	28500	339	08	77292	**105792**
38	Jalaun	9	23	3	500	34500	609	08	138852	**173352**
39	Jaunpur	21	47	3	500	70500	412	08	93936	**164436**
40	Jhansi	8	21	3	500	31500	217	08	49476	**80976**
41	Kannauj	8	21	3	500	31500	238	08	54264	**85764**
42	Kanpur Dehat	10	25	3	500	37500	273	08	62244	**99744**
43	Kanpur Nagar	10	25	3	500	37500	454	08	103512	**141012**
44	Kasganj	7	19	3	500	28500	220	08	50160	**78660**
45	Kaushambi	8	21	3	500	31500	222	08	50616	**82116**
46	Kushi Nagar	14	33	3	500	49500	434	08	98952	**148452**
47	Lakhimpur Kheri	15	35	3	500	52500	487	08	111036	**163536**
48	Lalitpur	6	17	3	500	25500	232	08	52896	**78396**
49	Lucknow (+3 Block)	8	21	3	500	31500	387	08	88236	**119736**
50	Maharajganj	12	29	3	500	43500	348	08	79344	**122844**
51	Mahoba	4	13	3	500	19500	166	08	37848	**57348**
52	Mainpuri	9	23	3	500	34500	276	08	62928	**97428**
53	Mathura	10	25	3	500	37500	318	08	72504	**110004**
54	Mau	9	23	3	500	34500	288	08	65664	**100164**
55	Meerut	12	29	3	500	43500	359	08	81852	**125352**
56	Mirzapur	12	29	3	500	43500	336	08	76608	**120108**
57	Moradabad	8	21	3	500	31500	337	08	76836	**108336**
58	Muzaffar Nagar	9	23	3	500	34500	351	08	80028	**114528**
59	Pilibhit	7	19	3	500	28500	238	08	54264	**82764**
60	Pratapgarh	17	39	3	500	58500	459	08	104652	**163152**
61	Raebareli	18	41	3	500	61500	367	08	83676	**145176**
62	Rampur	6	17	3	500	25500	255	08	58140	**83640**
63	Saharanpur	11	27	3	500	40500	408	08	93024	**133524**
64	Sambhal	8	21	3	500	31500	181	08	41268	**72768**
65	Sant Kabir Nagar	9	23	3	500	34500	226	08	51528	**86028**
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	17	3	500	25500	373	08	85044	**110544**
67	Shahjahanpur	15	35	3	500	52500	188	08	42864	**95364**
68	Shamali	5	15	3	500	22500	160	08	36480	**58980**
69	Shrawasti	5	15	3	500	22500	354	08	80712	**103212**
70	Siddharth Nagar	14	33	3	500	49500	554	08	126312	**175812**
71	Sitapur	19	43	3	500	64500	235	08	53580	**118080**
72	Sonbhadra	8	21	3	500	31500	192	08	43776	**75276**
73	Sultanpur	13	31	3	500	46500	312	08	71136	**117636**
74	Unnao	16	37	3	500	55500	432	08	98496	**153996**
75	Varanasi	8	21	3	500	31500	358	08	81624	**113124**
	Total	**820**	**2015**	**3**	**500**	**3022500**	**25658**		**5850024**	**8872524**

उपर्युक्त तालिका के अनुसार एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 की जनपद स्तर पर 03 त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु एवं ब्लाक स्तर पर 08 मासिक समीक्षा बैठक हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उक्त धनराशि का व्यय जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं DHAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानको के अनुसार एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 मद मे स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./समीक्षा बैठक/2018–19/ 5562-75(10) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्क्वायर, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)